

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-50/2017/1115/पांच-8-2017-जी0(73)/17
लखनऊ : दिनांक 22 मई, 2017

कार्यालय-जाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-जाप संख्या-1/2017/4083/पांच-8-2016-जी0(272)/2016, दिनांक 01-01-2017 द्वारा लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की चयन संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान/वेतन बैण्ड रू0 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर डा0 तरून यादव की नियुक्ति/तैनाती मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ के अधीन की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ के अधीन चिकित्साधिकारी का पद रिक्त न होने के कारण डा0 तरून यादव को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त डा0 तरून यादव, चिकित्साधिकारी की अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़ में की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए उन्हें मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर के अधीन एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा0 तरून यादव, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तैनाती स्थल दिनांक 12-06-2017 तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4- कार्यालय जाप दिनांक 01-01-2017 की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

अजीत कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-50/2017/1115/(1)/पांच-8-2017-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 5- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड़/बुलन्दशहर।
- 7- कोषाधिकारी, हापुड़/बुलन्दशहर।
- 8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 9- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।